सं. डब्ल्यू-02/0002/2014-डीपीई (मजूरी कक्ष)-जीएल-V/2022

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग

लोक उद्यम भवन,
ब्लॉक सं. 14, सीजीओ कॉम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 08 अप्रैल, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय:-केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में असंघबद्ध पर्यवेक्षकों सहित निदेशक मण्डल स्तर के तथा निदेशक मण्डल स्तर से नीचे के पदों के वेतनमान में 01.01.2007 से संशोधन-संशोधित दरों पर औद्योगिक महंगाई भत्ते का भुगतान संबंधी। *****

अधोहस्ताक्षरी को लोक उद्यम विभाग के दिनांक 26.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 6 तथा अनुबंध-II (ख) का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसमें केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के निदेशक मण्डल स्तर के तथा निदेशक मण्डल स्तर से नीचे के कार्यपालकों एवं असंघबद्ध पर्यवेक्षकों को देय महंगाई भत्ते की दरों को दर्शाया गया है। सीपीएसईज़ के कार्यपालकों और गैर-संघीकृत पर्यवेक्षकों को देय डीए की दर **वर्ष 2007 के वेतनमानों के लिए दिनांक 01.04.2022 से 185.3% है।**

2. डीए की उपरोक्त दरें अर्थात 185.3% आईडीए कर्मचारियों के मामले में लागू होंगी, जिन्हें डीपीई के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 26.11.2008, 09.02.2009 और 02.04.2009 के अनुसार संशोधित वेतनमान (2007) की अनुमति दी गई है।

3. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपनी आगे होने वाली कार्रवाई को आवश्यक कार्रवाई के लिए उनके प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सीपीएसईज़ के ध्यान में लाएं ।

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(समसुल हक)
अवर सचिव

सेवा में,
भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग ।

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के मुख्य कार्यपालक ।
2. प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों में वित्तीय सलाहकार ।
3. व्यय विभाग, स्था.-II शाखा, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
4. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली ।
5. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लोक उद्यम विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।

(समसुल हक)
अवर सचिव